



ए एफ आर

Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:18136

09.01.2026 को सुरक्षित

12.03.2026 को प्रदत्त

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

रिट सी सं. 1000273 वर्ष 2005

साहब दास (आपति दायर)

...याचिकाकर्ता

बनाम

अपर आयुक्त न्यायिक लखनऊ मंडल एवं अन्य

...प्रतिवादी

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: गोविंद सरण निगम, अभीष्ट सरण

विपक्ष(गण) के अधिवक्ता

: पी के सिंह (सीएससी)

न्यायालय संख्या :- 4

माननीय न्यायमूर्ति इरशाद अली

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभीष्ट सरण तथा प्रतिवादी-राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य शासकीय अधिवक्ता श्री शत्रुघ्न चौधरी को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित दिनांक 10.08.2004 के विवादित आदेश को, जो रिट याचिका के संलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न है, रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी करने हेतु दायर की गई है।

3. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित एक

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भूमिहीन कृषि मजदूर है। वह चमार समुदाय का सदस्य है और 3 जून 1995 के पूर्व से ग्राम लागलेसरा, परगना असिवान रसूलाबाद, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में स्थित प्लॉट संख्या 147/2 एम क्षेत्रफल 0.400 हेक्टेयर के कब्जे में है।

4. प्लॉट संख्या 147/2 एक बड़ा प्लॉट है और राजस्व अभिलेखों में "बंजर" दर्ज है। यह ग्राम पंचायत से संबंधित है। समेकन के दौरान, उपर्युक्त प्लॉट संख्या 147/2 को नया नंबर 264 क, क्षेत्रफल 5.415 हेक्टेयर दिया गया है। संलग्नक संख्या 2 सीएच-फॉर्म 41 की सहीप्रतिलिपि है और संलग्नक संख्या 3 सीएच-फॉर्म 45 की सहीप्रतिलिपि है।

5. उ.प्र. जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-बी के अधीन कार्यवाही में, जब याचिकाकर्ता ने 31 जून 1995 से पूर्व से अपने कब्जे के आधार पर लाभ का दावा किया, तो एक जाँच की गई और तहसील से रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसने याचिकाकर्ता के कब्जे को सिद्ध किया, इस प्रकार उसके कब्जे को नियमित करने की सिफारिश की गई और परगना अधिकारी, हसनगंज उन्नाव ने दिनांक 09.01.1998 के आदेश द्वारा सिफारिश स्वीकार कर ली और याचिकाकर्ता को धारा 122-बी (4-फ) के तहत अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी के रूप में लाभ प्रदान किया। संलग्नक संख्या 4 परगना अधिकारी, हसनगंज, उन्नाव द्वारा पारित दिनांक 09.01.1998 के आदेश की प्रमाणित प्रति है।

6. यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि प्रतिवादी संख्या 2 ग्राम लागलेसरा के पूर्व-प्रधान हैं। उनकी स्वयं की विवादित भूमि पर कुत्सित दृष्टि है। हालाँकि, चूँकि वह उच्च जाति से

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संबंधित हैं और भूमि को अपने नाम कराने के हकदार नहीं थे, इसलिए वह याचिकाकर्ता को अधिकार प्रदान करने में हर बाधा उत्पन्न कर रहे थे।

7. परगना अधिकारी, हसनगंज, उन्नाव के उपर्युक्त आदेश के समय, श्रीमती मोहिनी गौर पत्नी श्री सुरेंद्र कुमार गौर - जो प्रतिवादी संख्या 2 के छोटे भाई हैं, प्रधान थीं। प्रतिवादी संख्या 2 ने उनके माध्यम से, उपर्युक्त लाभ को याचिकाकर्ता को देने से मना करने का हर संभव प्रयास किया। हालाँकि, वह अपनी कुत्सित योजनाओं में सफल नहीं हो सके।

8. उपर्युक्त आदेश के तुरंत बाद, प्रतिवादी संख्या 2 ने ग्राम लागलेसरा के पूर्व-प्रधान के रूप में उपर्युक्त दिनांक 09.01.1998 के आदेश को प्रत्याहरण करने के लिए एक आवेदन किया और परगना अधिकारी, हसनगंज उन्नाव ने दिनांक 18.07.1998 के आदेश द्वारा अपने पूर्ववर्ती द्वारा पारित दिनांक 09.01.1998 के आदेश को बिना किसी सूचना के याचिकाकर्ता को और बिना उसे प्रतिवादी संख्या 2 के आरोपों का सामना करने का कोई अवसर प्रदान किए, रद्द कर दिया।

9. उपर्युक्त आदेश के बारे में जानने के बाद, याचिकाकर्ता ने 19.04.1999 को, उसी आदेश को प्रत्याहरण करने और प्रतिवादी संख्या 2 के आवेदन पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए आवेदन किया।

10. याचिकाकर्ता के उपर्युक्त आवेदन पर, प्रतिवादी संख्या 2 को एक नोटिस जारी किया गया और परगना अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 25.09.2003 के आदेश द्वारा उसे स्वीकार कर लिया और अपना पूर्व एक पक्षीय आदेश दिनांक 18.07.1998 को प्रत्याहरण कर लिया।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. जैसा कि पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, प्रतिवादी संख्या 2 की विवादित भूमि पर कुत्सित दृष्टि थी, इसलिए परगना अधिकारी, हसनगंज उन्नाव द्वारा पारित उपर्युक्त दिनांक 25.09.2003 के आदेश के विरुद्ध, उसने उ.प्र. जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 333 के अधीन आयुक्त, लखनऊ मंडल, लखनऊ के समक्ष एक पुनरीक्षण दायर किया, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 10.08.2004 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया। प्रतिवादी संख्या 1 ने पुनरीक्षण को स्वीकार करते हुए पूरी तरह से भुला दिया कि दिनांक 25.09.2003 का आदेश केवल पूर्व दिनांक 18.07.1998 के आदेश को प्रत्याहरण करने वाला एक आदेश था, जो याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक पक्षीय रूप से पारित किया गया था और अपने आदेश को प्रत्याहरण करके, प्रतिवादी संख्या 2 का दिनांक 09.01.1998 के आदेश को प्रत्याहरण करने का आवेदन पुनर्जीवित हो गया और उसका निपटान विधि के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद किया जाना था।

12. उक्त दिनांक 25.09.2003 का आदेश मामले के गुण-दोष पर नहीं है। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 1 ने यह भी ध्यान में नहीं रखा कि पूर्व दिनांक 18.07.1998 के आदेश को प्रत्याहरण करके परगना अधिकारी ने केवल याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किया है, जिसके विरुद्ध उक्त आदेश बिना किसी सूचना के पारित किया गया था और सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए यह एक पक्षीय आदेश था।

13. प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 25.09.2003 के आदेश को रद्द करते हुए और विशेष रूप से यह अवलोकन करते हुए कि दिनांक 15.07.1998 का आदेश प्रवृत्त रहेगा, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 2 के कदम का विरोध करने और दिनांक 09.01.1998 के आदेश की वैधता और औचित्य की रक्षा करने के अपने अधिकार से वंचित कर दिया है।

14. यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि प्रतिवादी संख्या 2 का इस मामले में कोई अधिकार-क्षेत्र नहीं है। वह विवादित भूमि में कोई अधिकार या दावा नहीं कर सकता है और न ही उ.प्र. जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-बी (4-फ) के अधीन परगना अधिकारी के आदेश को चुनौती दे सकता है। दिनांक 09.01.1998 के आदेश को प्रत्याहरण करने का उसका आवेदन पूर्ण रूप से गलत धारणा पर आधारित है।

15. यहाँ यह उल्लेख करना और भी उचित होगा कि गाँव समेकन कार्यवाही के अधीन है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी कुत्सित चालों के कारण, समेकन अधिकारी से दिनांक 17.05.1995 का अपने पक्ष में एक आदेश प्राप्त करने में सफलता पाई। हालाँकि, ग्राम समाज ने समेकन अधिकारी के उपर्युक्त दिनांक 17.05.1995 के आदेश के विरुद्ध निपटान अधिकारी समेकन, उन्नाव - अपील संख्या 1431/918, उ.प्र. भू-समेकन अधिनियम की धारा 11(1) के अधीन एक अपील दायर की और निपटान अधिकारी समेकन ने अपने दिनांक 28.01.1998 के आदेश द्वारा उपर्युक्त आदेश को इस निर्देश के साथ रद्द कर दिया कि भूमि गांव सभा के नाम पर दर्ज रहेगी।

16. प्रतिवादी संख्या 2 ने निपटान अधिकारी समेकन के उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण दायर किया और मामला उप निदेशक समेकन, उन्नाव के समक्ष लंबित है।

17. प्रतिवादी संख्या 1 ने पुनरीक्षण को केवल इस आधार पर स्वीकार किया है कि दिनांक

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18.7.1998 का आदेश गुण-दोष पर है, जबकि इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि यह एक पक्षीय है याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 के आवेदन के खिलाफ अपनी दलील रखने का कोई अवसर दिए बिना पारित किया गया है।

18. प्रतिवादी संख्या 2 अवैध साधनों को अपनाकर भी याचिकाकर्ता को विवादित भूमि से बेदखल करने पर तुला हुआ है और यदि वह अपनी कुत्सित योजना में सफल हो गया, तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी।

19. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतीकरण है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने परगना अधिकारी, हसनगंज, जिला उन्नाव द्वारा पारित वैध आदेश दिनांक 25.09.2003 को रद्द करके अधिकारिता से अधिक कार्य किया है। दिनांक 25.09.2003 का आदेश केवल एक पूर्व के एक पक्षीय आदेश दिनांक 18.07.1998 को प्रत्याहरण करता है और सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद मामले को गुण-दोष पर निर्णय के लिए बहाल करता है।

20. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण प्राधिकारी यह समझने में विफल रहा कि 25.09.2003 को गुण-दोष पर कोई अधिनिर्णय नहीं हुआ था और आदेश केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बहाल करता है, इसलिए पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अनुचित था। परिणामस्वरूप, विवादित आदेश विधिक रूप से अस्थिर है और रद्द किए जाने योग्य है।

21. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि एक पक्षीय आदेश दिनांक 18.07.1998 याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किए बिना और उसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर प्रत्याहरण आवेदन का विरोध करने

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का कोई अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया था। परगना अधिकारी ने 25.09.2003 को दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक पक्षीय आदेश को प्रत्याहरण करके इस अवैधता को सही ढंग से सुधारा। हालाँकि, पुनरीक्षण प्राधिकारी ने एक पक्षीय आदेश को बहाल कर दिया, जिससे याचिकाकर्ता को उसके बहुमूल्य सुनवाई के अधिकार से वंचित कर दिया गया। यह स्थापित विधि है कि प्रभावित पक्ष को सुने बिना पारित कोई भी आदेश शून्य और अवैध है।

22. उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित एक भूमिहीन कृषि मजदूर है और 3 जून 1995 से पूर्व से विवादित भूमि के कब्जे में है। उचित जाँच के बाद, सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 09.01.1998 के आदेश द्वारा उसे उ.प्र. जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-बी (4-फ) के तहत लाभ प्रदान किया, जिसमें उसे अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी घोषित किया गया। अधिकारों का यह प्रदान आधिकारिक सत्यापन पर आधारित था और इसे आसानी से नहीं छेड़ा जा सकता। पुनरीक्षण प्राधिकारी याचिकाकर्ता की वैधानिक सुरक्षा पर विचार करने में विफल रहा, जो एक भूमिहीन अनुसूचित जाति के कृषक के रूप में है।

23. उन्होंने प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि बंजर दर्ज है और गांव सभा से संबंधित है। प्रतिवादी संख्या 2 का उक्त भूमि पर कोई वैध अधिकार, शीर्षक या हित नहीं है। केवल एक पूर्व-प्रधान होने के नाते, वह याचिकाकर्ता को अधिकार प्रदान करने को चुनौती नहीं दे सकता है। इसलिए उसका प्रत्याहरण आवेदन गलत धारणा पर आधारित और ग्राह्य नहीं था।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



24. उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 2 बिना किसी वैध दावे के याचिकाकर्ता को लगातार बेदखल करने का प्रयास कर रहा है। उसके कार्य प्रेरित हैं और अवैध साधनों द्वारा गांव सभा की भूमि पर कब्जा करने के इरादे से हैं। समेकन कार्यवाही के दौरान भी, अनुकूल आदेश प्राप्त करने के प्रयास किए गए, जिन्हें बाद में अपील में रद्द कर दिया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि भूमि गांव सभा के नाम पर दर्ज रहेगी। आचरण का यह स्वरूप विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग को दर्शाता है।

25. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण प्राधिकारी इस गलत धारणा पर आगे बढ़ा कि दिनांक 18.07.1998 का आदेश गुण-दोष पर पारित किया गया था। वास्तव में, आदेश एक पक्षीय था और याचिकाकर्ता को बिना सूचना के पारित किया गया था। ऐसे आदेश की बहाली न्याय को विफल करती है और अवैधता को कायम रखती है।

26. उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एक भूमिहीन व्यक्ति है जिसकी आजीविका भूमि पर निर्भर है। यदि विवादित आदेश को बरकरार रखा गया, तो याचिकाकर्ता को गुण-दोष पर अधिनिर्णय के बिना बेदखल कर दिया जाएगा, हालाँकि, सुविधा का संतुलन और न्यायसंगतता पूरी तरह से याचिकाकर्ता के पक्ष में है। अपने प्रस्तुतीकरणों के समर्थन में, उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:

क) मनोरे @ मनोहर बनाम राजस्व बोर्ड, उ.प्र. और अन्य; 2003 (94) आरडी 538.

ख) सुशीला और अन्य बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य; (2015) 129 आर.डी.253.

ग) गंगा रमन शर्मा बनाम उ.प्र. राज्य; (2016) 132 आरडी 251.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



घ) ब्रह्मानंद और अन्य बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य; 2019: एचसी:120211.

इ) भोला बनाम उ.प्र. राज्य; 2022: एचसी:235747.

27. दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता उ.प्र. जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार (ज.उ. एवं भू.सु.) अधिनियम की धारा 122-बी 4(फ) के तहत नियमितीकरण के लिए पात्रता का दावा करता है। हालाँकि, यह दावा तत्कालीन क्षेत्र लेखपाल द्वारा 1998 में प्रस्तुत की गई एक जाली और मनगढ़ंत रिपोर्ट पर आधारित है। परगना अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 09.01.1998 का आदेश, जिसने प्रारंभ में भूमि को नियमित किया था, बिना किसी जाँच के और 03.06.1995 की निर्णायक तारीख से पूर्व याचिकाकर्ता के कब्जे के किसी दस्तावेजी साक्ष्य के बिना पारित किया गया था। उक्त आदेश को परगना अधिकारी द्वारा 18.07.1998 को एक उचित जाँच के बाद सही ढंग से रद्द कर दिया गया, जिसमें लेखपाल की रिपोर्ट की मिथ्याता उजागर हुई। लेखपाल, राम खेलावन के विरुद्ध एक अनियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विभागीय कार्यवाही भी शुरू की गई थी।

28. उन्होंने प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि (गाटा संख्या 147/2 मिन., क्षेत्रफल 0.400 हेक्टेयर, ग्राम लागलेसरा) पहले से ही समेकन अधिकारी के दिनांक 17.05.1995 के आदेश द्वारा ज्वाला देवी बाल विद्या मंदिर के लिए आरक्षित कर दी गई थी। चूंकि भूमि नियमितीकरण के लिए वैधानिक निर्णायक तारीख से पूर्व ही एक सार्वजनिक/शैक्षिक प्रयोजन के लिए आरक्षित कर दी गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता उक्त संपत्ति पर कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता था।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



29. उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने लगातार विलंबित वाद-विवाद किया है। याचिकाकर्ता द्वारा 19.04.1999 को दायर पुनःस्थापन आवेदन महत्वपूर्ण रूप से समय-बाध्य था। निचली अदालत (परगना अधिकारी) ने 25.09.2003 को विलंब को माफ किए बिना और कोई विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किए बिना इस पुनःस्थापन को स्वीकार करके विधि में त्रुटि की, जो स्थापित विधिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। हालाँकि, अपर आयुक्त, लखनऊ मंडल ने दिनांक 10.08.2004 के आदेश के माध्यम से इस त्रुटिपूर्ण आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया, जो वर्तमान चुनौती का विषय है।

30. उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता कभी भी भूमि के वास्तविक भौतिक कब्जे में नहीं था। याचिकाकर्ता के 03.06.1995 से पूर्व के कब्जे को इंगित करने के लिए 1402 फसली की खसरा या खतौनी में कोई प्रविष्टि नहीं है। उ.प्र. जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के तहत अधिकारों का दावा करने के लिए, याचिकाकर्ता के लिए धारा 229(बी) के अंतर्गत एक घोषणात्मक वाद दायर करना अनिवार्य था, जिसे करने में याचिकाकर्ता विफल रहा।

31. उन्होंने अंतिम रूप से प्रस्तुत किया कि तत्काल रिट याचिका ग्राह्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के पास एक संप्रभावी वैकल्पिक उपाय है। उ.प्र.ज.उ.एवं.भू.सु. अधिनियम की धारा 333 के अधीन, याचिकाकर्ता को इस माननीय न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का आह्वान करने के बजाय राजस्व बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण दायर करना चाहिए था। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में कि याचिकाकर्ता ने इस माननीय न्यायालय में दोषयुक्त होते हुए संपर्क किया है और अपर आयुक्त का विवादित आदेश विधिक रूप से सुदृढ़ है, यह अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि रिट याचिका को दृष्टांत लागत के साथ खारिज किया जाए और इस माननीय न्यायालय को गुमराह करके

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्राप्त अंतरिम आदेश को न्याय के हित में निरस्त किया जाए।

32. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत विधि रिपोर्टों का अवलोकन किया है।

33. मामले में शामिल विवाद को हल करने के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

क) मनोरे @ मनोहर (पूर्वोक्त):

6. मुद्दे को समझने के लिए, धारा 122-बी का संदर्भ आवश्यक है। उक्त धारा उस व्यक्ति को बेदखल करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है जो गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी में निहित संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है या उसे नुकसान पहुंचा रहा है या उसका गबन कर रहा है। भूमि प्रबंधन समिति या स्थानीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, सहायक कलेक्टर को सूचित करेगा और तब सहायक कलेक्टर को संबंधित व्यक्ति को कारण बताने के लिए नोटिस जारी करना चाहिए। यदि सहायक कलेक्टर स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है, तो वह आवश्यकता पड़ने पर बल का प्रयोग करके बेदखली का निर्देश दे सकता है, और आगे यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया के रूप में मुआवजा वसूल किया जाए। पीड़ित व्यक्ति को कलेक्टर के समक्ष पुनरीक्षण का अधिकार है और वह अपना अधिकार स्थापित करने के लिए वाद भी दायर कर सकता है। उप-धारा (4-फ) महत्वपूर्ण प्रावधान है जो उस समय इस प्रकार पढ़ा जाता था:

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"122-बी. (4-फ) उपर्युक्त उप-धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई कृषि मजदूर जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, धारा 117 के अधीन गांव सभा में निहित किसी भूमि (धारा 132 में उल्लिखित भूमि नहीं) के कब्जे में है, और उसने उस पर 30-6-1985 से पूर्व से कब्जा किया है और उक्त कब्जे की भूमि के साथ-साथ, यदि कोई हो, उसके द्वारा उक्त तारीख से पूर्व भूमिधारी, सीरदार या आसामी के रूप में धारित भूमि, 1.26 हेक्टेयर (3.125 एकड़) से अधिक नहीं है, तो ऐसे मजदूर के विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही भूमि प्रबंधन समिति या कलेक्टर द्वारा नहीं की जाएगी, और यह समझा जाएगा कि उसे धारा 195 के अधीन उस भूमि का अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी के रूप में प्रवेश दिया गया है।"

8. 8. सबसे पहले, धारा 122-बी की उप-धारा (4-फ) द्वारा प्रदत्त अधिकार या संरक्षण की प्रकृति का विश्लेषण और पहचान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उप-धाराएं (1) से (3) और उप-धारा (4-ई) तक के सहायक प्रावधान, अन्य बातों के साथ, गांव सभा में निहित भूमि पर अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखल करने की प्रक्रिया से संबंधित हैं। उप-धारा (4-फ) 3.125 एकड़ की सीमा से कम भूमि रखने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित कृषि मजदूर के पक्ष में एक अपवाद बनाती है। भूमि की सीमा 3.125 एकड़ से कम है। ऐसे पात्र व्यक्ति द्वारा गांव सभा में निहित भूमि (धारा 132 में उल्लिखित भूमि के अलावा) पर किन परिस्थितियों में कब्जा किया गया था, इसकी परवाह किए बिना, उसे बेदखल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और इसके अलावा, उसे उस भूमि पर अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी के रूप में प्रवेश दिया गया माना जाएगा, बशर्ते वह उप-धारा में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो। उप-मंडल अधिकारी के

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी के निष्कर्षों के अनुसार, अपीलार्थी शर्तों को पूरा करता है। यदि ऐसा है, तो दो विधिक परिणाम होते हैं। ऐसे भूमि के कब्जेदार को धारा 122-बी की उप-धाराओं (1) से (3) का सहारा लेकर बेदखल नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ है कि भूमि का कब्जेदार जो उप-धारा (4-फ) के अधीन शर्तों को पूरा करता है, गांव सभा के विरुद्ध अपने कब्जे की रक्षा करने का हकदार है। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण अधिकार जो उप-धारा (4-फ) उसे प्रदान करती है, वह यह है कि उसे अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। विधिक कल्पना का प्रावधान विशेष रूप से कृषि सुधार के एक उपाय के रूप में, सामाजिक-आर्थिक न्याय पर जोर देने के साथ अधिनियमित किया गया है। अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी का विधिक रूप से प्रदत्त अधिकार धारा 131 के खंड (ख) में अपनी प्रतिध्वनि पाता है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों के अधीन या अनुसार भूमिधारी के अधिकार प्राप्त करता है, धारा 131 के अंतर्गत भूमिधारी के वर्ग में आने वाला माना जाता है। उप-धारा (4-फ) के अधीन प्राप्त या अर्जित अधिकार ऐसा ही एक अधिकार है जो धारा 131(ख) के दायरे में आता है।

9. इस प्रकार, धारा 122-बी की उप-धारा (4-फ) न केवल उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए गए अनुसार कब्जे की रक्षा के लिए एक ढाल प्रदान करती है, बल्कि यह उस उप-धारा में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले भूमि के कब्जेदार पर भूमिधारी का एक सकारात्मक अधिकार भी प्रदान करती है। विधिक कल्पना के प्रावधान की स्पष्ट भाषा और कानून के सुधारात्मक उद्देश्य के बावजूद, उच्च न्यायालय के एकल न्यायमूर्ति ने रामदीन बनाम राजस्व बोर्ड [1994 आरडी 388] (तत्काल मामले में उसी न्यायमूर्ति द्वारा अनुसरण किया गया) में यह दृष्टिकोण लिया था कि उप-धारा (4-फ)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा विचारित कब्जेदार के भूमिधारी अधिकार तभी पुष्पित हो सकते हैं जब भूमि प्रबंधन समिति द्वारा धारा 198 के अधीन कोई विशिष्ट आवंटन आदेश हो। उच्च न्यायालय के अनुसार, उप-धारा (4-फ) में निहित विधिक कल्पना के प्रावधान को अधिनियम के अन्य प्रावधानों को अति-प्रभावित नहीं किया जा सकता है जो विशेष रूप से भूमिधारी के अधिकार के सृजन से संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण यह था कि उप-धारा (4-फ) में निहित लाभकारी प्रावधान द्वारा कवर किए गए व्यक्ति को धारा 198 के अधीन आवंटन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, भले ही वह बेदखली के लिए उत्तरदायी न हो। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, यह माना गया कि कब्जेदार राजस्व अभिलेखों में सुधार की मांग करने का हकदार नहीं था, भले ही उसका मामला धारा 122-बी की उप-धारा (4-फ) के अंतर्गत आता हो। हमारी धारणा है कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अस्थिर है। यह एक निश्चित सामाजिक उद्देश्य के साथ अधिनियमित विधिक कल्पना के प्रावधान के प्रभाव को नजरअंदाज करने के समान है। जब एक बार विधिक कल्पना का प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रावधान में निर्धारित आवश्यक मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति को धारा 195 के अधीन अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी के रूप में प्रविष्टि प्रदान करता है, तो उसे पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए। धारा 195 यह निर्धारित करती है कि भूमि प्रबंधन समिति, उप-मंडल के प्रभारी सहायक कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति से, गांव सभा में निहित किसी भी रिक्त भूमि (धारा 132 के अंतर्गत आने वाली भूमि के अलावा) पर किसी भी व्यक्ति को अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी के रूप में प्रविष्टि देने का अधिकार रखेगी। धारा 198 धाराओं 195 और 197 के अधीन व्यक्तियों को भूमि पर प्रविष्टि देने में वरीयता का क्रम निर्धारित करती है। धारा 122-बी की उप-धारा (4-फ) का अंतिम भाग विधिक कल्पना द्वारा पात्र भूमि कब्जेदार को अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी की स्थिति

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस प्रकार प्रदान करता है मानो उसे धारा 195 के अधीन प्रविष्ट किया गया हो। वास्तविक रूप में और प्रभाव में, विधिक कल्पना का प्रावधान घोषित करता है कि विधिक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिधारी उतना ही पात्र होना चाहिए जितना कि धारा 195 के साथ अन्य प्रावधानों के तहत भूमिधारी अधिकारों के लिए प्रविष्ट व्यक्ति को। एक तरह से, उप-धारा (4-फ) उस उप-धारा के सुरक्षात्मक दायरे में आने वाले व्यक्ति को विशेष रूप से वही लाभ प्रदान करके धारा 195 की पूर्ति करती है। धारा 195 के साथ धारा 198 के तहत गांव सभा के पास जाने की आवश्यकता उप-धारा (4-फ) में निहित विधिक कल्पना के प्रावधान से दूर हो जाती है। हमें विधिक कल्पना के प्रावधान के दायरे को सीमित करने का कोई आधार नहीं मिलता।

10. यह विधिक स्थिति होने के कारण, उप-धारा (4-फ) के चारों कोनों के भीतर आने वाले पात्र व्यक्ति द्वारा राजस्व अभिलेख में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए आवेदन किए जाने में कोई बाधा नहीं है। जब एक बार आवेदक का दावा स्वीकार कर लिया जाता है, तो विधिक आदेश को प्रभावी करने के लिए आवश्यक प्रविष्टियाँ राजस्व अभिलेखों में करना संबंधित राजस्व प्राधिकारियों का कर्तव्य है। ऐसा करने का दायित्व उप-धारा (4-फ) के दायरे में आने वाले व्यक्ति में निहित विधिक अधिकार के कारण आवश्यक आशय से उत्पन्न होता है। अधिनियम के अधीन आवेदन करने के लिए विशिष्ट प्रावधान का अभाव आवेदन को ग्राह्य न मानने का कोई आधार नहीं है। राजस्व अभिलेख स्वाभाविक रूप से विधिक रूप से मान्यता प्राप्त अधिकारों के अनुरूप होने चाहिए। इसलिए उप-मंडल अधिकारी आवेदन को स्वीकार करने और अभिलेखों में सुधार का निर्देश देने के लिए अपने अधिकारों के भीतर था। राजस्व बोर्ड और उच्च न्यायालय को उस आदेश को रद्द नहीं करना चाहिए था। यह

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथ्य कि गांव सभा की भूमि प्रबंधन समिति ने यहाँ के प्रतिवादियों के पक्ष में पट्टाधारी अधिकार बनाए थे, कोई महत्व नहीं रखता। ऐसा पट्टा, अपीलार्थी के विधिक अधिकार के सामने, विधि की दृष्टि में अवैध है और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

11. यह आश्चर्यजनक है कि उ.प्र. राज्य ने गांव सभा के साथ मिलकर एस.डी.ओ. के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करना चुना। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा मामले की स्पष्ट रूप से जाँच नहीं की गई है, जिन्हें कानून के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य को प्रभावी करना चाहिए था।

12. अपील स्वीकार की जाती है। राजस्व बोर्ड और उच्च न्यायालय के आदेश रद्द किए जाते हैं। एस.डी.ओ. का आदेश बहाल किया जाता है। कोई लागत नहीं।"

ख) सुशीला और अन्य (पूर्वोक्त):

"4. धारा 122-बी की उप-धारा (4-फ) की व्याख्या और अर्थ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मनोरे उर्फ मनोहर बनाम राजस्व बोर्ड (उ.प्र.)¹ में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उप-धारा (4-फ) उप-धाराओं (1), (2) और (3) के प्रावधानों से एक अपवाद बनाती है, जिसके अंतर्गत ग्राम सभा में निहित भूमि पर अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखल करने की प्रक्रिया प्रदान की गई है। उप-धारा (4-फ) द्वारा बनाया गया अपवाद 3.125 एकड़ की निर्धारित सीमा से कम भूमि रखने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कृषि मजदूरों के पक्ष में है। जहाँ उप-धारा (4-फ) की शर्तें पूरी होती हैं, वहाँ विधायिका ने प्रावधान किया है कि ऐसे व्यक्ति को

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बेदखल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और उसे उस भूमि पर अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी के रूप में प्रविष्ट माना जाएगा।

5. सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार माना है:

"8. सबसे पहले, धारा 122-बी की उप-धारा (4-फ) द्वारा प्रदत्त अधिकार या संरक्षण की प्रकृति का विश्लेषण और पहचान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उप-धाराएं (1) से (3) और उप-धारा (4-ई) तक के सहायक प्रावधान, अन्य बातों के साथ, गांव सभा में निहित भूमि पर अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखल करने की प्रक्रिया से संबंधित हैं। उप-धारा (4-फ) 3.125 एकड़ की सीमा से कम भूमि रखने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित कृषि मजदूर के पक्ष में एक अपवाद बनाती है। भूमि की सीमा 3.125 एकड़ से कम है। ऐसे पात्र व्यक्ति द्वारा गांव सभा में निहित भूमि (धारा 132 में उल्लिखित भूमि के अलावा) पर किन परिस्थितियों में कब्जा किया गया था, इसकी परवाह किए बिना, उसे बेदखल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और इसके अलावा, उसे उस भूमि पर अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी के रूप में प्रवेश दिया गया माना जाएगा, बशर्ते वह उप-धारा में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो। उप-मंडल अधिकारी के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी के निष्कर्षों के अनुसार, अपीलार्थी शर्तों को पूरा करता है। यदि ऐसा है, तो दो विधिक परिणाम होते हैं। ऐसे भूमि के कब्जेदार को धारा 122-बी की उप-धाराओं (1) से (3) का सहारा लेकर बेदखल नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ है कि भूमि का कब्जेदार जो उप-धारा (4-फ) के अधीन शर्तों को पूरा करता है, गांव सभा के विरुद्ध अपने कब्जे की रक्षा करने का हकदार है। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण अधिकार जो उप-धारा (4-फ) उसे प्रदान करती है, वह यह है कि उसे

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। विधिक कल्पना का प्रावधान विशेष रूप से कृषि सुधार के एक उपाय के रूप में, सामाजिक-आर्थिक न्याय पर जोर देने के साथ अधिनियमित किया गया है। अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी का विधिक रूप से प्रदत्त अधिकार धारा 131 के खंड (ख) में अपनी प्रतिध्वनि पाता है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों के अधीन या अनुसार भूमिधारी के अधिकार प्राप्त करता है, धारा 131 के अंतर्गत भूमिधारी के वर्ग में आने वाला माना जाता है। उप-धारा (4-फ) के अधीन प्राप्त या अर्जित अधिकार ऐसा ही एक अधिकार है जो धारा 131(ख) के दायरे में आता है।

6. सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि उप-धारा (4-फ) न केवल उस व्यक्ति के कब्जे की रक्षा के लिए एक ढाल है जो उप-धारा (4-फ) की शर्तों को पूरा करता है, बल्कि यह उस उप-धारा में निर्धारित शर्तों और मानदंडों को पूरा करने वाले कब्जेदार पर भूमिधारी के रूप में मान्यता प्राप्त करने का एक सकारात्मक अधिकार भी प्रदान करती है।

7. सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार माना है:

"इस प्रकार, धारा 122-बी की उप-धारा (4-फ) न केवल उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए गए अनुसार कब्जे की रक्षा के लिए एक ढाल प्रदान करती है, बल्कि यह उस उप-धारा में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले भूमि के कब्जेदार पर भूमिधारी का एक सकारात्मक अधिकार भी प्रदान करती है। जब एक बार विधिक कल्पना का प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रावधान में निर्धारित आवश्यक मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति को धारा 195 के अधीन अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के रूप में प्रविष्टि प्रदान करता है, तो उसे पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए। धारा 195 यह निर्धारित करती है कि भूमि प्रबंधन समिति, उप-मंडल के प्रभारी सहायक कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति से, गांव सभा में निहित किसी भी रिक्त भूमि (धारा 132 के अंतर्गत आने वाली भूमि के अलावा) पर किसी भी व्यक्ति को अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी के रूप में प्रविष्टि देने का अधिकार रखेगी। धारा 198 धाराओं 195 और 197 के अधीन व्यक्तियों को भूमि पर प्रविष्टि देने में वरीयता का क्रम निर्धारित करती है। धारा 122-बी की उप-धारा (4-फ) का अंतिम भाग विधिक कल्पना द्वारा पात्र भूमि कब्जेदार को अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी की स्थिति इस प्रकार प्रदान करता है मानो उसे धारा 195 के अधीन प्रविष्टि किया गया हो। वास्तविक रूप में और प्रभाव में, विधिक कल्पना का प्रावधान घोषित करता है कि विधिक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिधारी उतना ही पात्र होना चाहिए जितना कि धारा 195 के साथ अन्य प्रावधानों के तहत भूमिधारी अधिकारों के लिए प्रविष्टि व्यक्ति को। एक तरह से, उप-धारा (4-फ) उस उप-धारा के सुरक्षात्मक दायरे में आने वाले व्यक्ति को विशेष रूप से वही लाभ प्रदान करके धारा 195 की पूर्ति करती है। धारा 195 के साथ धारा 198 के तहत गांव सभा के पास जाने की आवश्यकता उप-धारा (4-फ) में निहित विधिक कल्पना के प्रावधान से दूर हो जाती है। हमें विधिक कल्पना के प्रावधान के दायरे को सीमित करने का कोई आधार नहीं मिलता।

8. धारा 122-बी की उप-धारा (4-क) उप-धाराओं (3) या (4) के अधीन सहायक कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किए जाने पर पुनरीक्षण का उपाय प्रदान करती है। उप-धारा (3) उस स्थिति में सहायक कलेक्टर द्वारा बेदखली के आदेश का प्रावधान करती है जहाँ उप-धारा (2) के अधीन नोटिस जारी

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किए गए व्यक्ति ने कारण नहीं बताया है या यदि बताया गया कारण अपर्याप्त पाया जाता है। उप-धारा (3) यह भी प्रावधान करती है कि किसी भी क्षति, गबन या अवैध कब्जे के संबंध में मुआवजा देने का निर्देश दिया जाए; यह राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी। उप-धारा (4) उप-धारा (2) के अधीन जारी नोटिस के निर्वहन का प्रावधान करती है जहाँ सहायक कलेक्टर की राय है कि कारण दिखाने वाला व्यक्ति क्षति, गबन या अवैध कब्जा करने का दोषी नहीं है। धारा 122-बी की उप-धारा (4-क) के अधीन पुनरीक्षण का उपाय केवल उस आदेश के संबंध में उपलब्ध है जो उप-धाराओं (3) या (4) के अधीन पारित किया गया है। धारा 122-बी की उप-धारा (4-फ) एक स्वतंत्र प्रावधान है जिसके द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कृषि मजदूरों के पक्ष में एक अपवाद बनाया गया है, जो विधि द्वारा लगाई गई शर्तों की संतुष्टि के अधीन है। धारा 122-बी (4-फ) के अधीन आदेश के संबंध में पुनरीक्षण का कोई उपाय प्रदान नहीं किया गया है।

9. विद्वान एकल न्यायमूर्ति, यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि में थे कि पुनरीक्षण का उपाय धारा 122-बी (4-फ) के अधीन सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के संबंध में उपलब्ध है। उप-धारा (4-क) में बनाए गए विधिक प्रावधान के स्पष्ट शब्दों के अनुसार, ऐसा उपाय केवल उप-धाराओं (3) या (4) के अधीन आदेश के संबंध में उपलब्ध कराया गया है। पुनरीक्षण का उपाय विधि की रचना है। पुनरीक्षण प्राधिकारी अपनी अधिकारिता का विस्तार नहीं कर सकता है जहाँ किसी विधिक प्रावधान ने ऐसा उपाय प्रदान नहीं किया है।

14. दूसरी अनुसूची में अंतर-अनुच्छेद धाराएं, कार्यवाहियों का विवरण, मूल अधिकारिता के न्यायालय और प्रथम एवं द्वितीय अपील के न्यायालय प्रदान किए गए हैं। धारा 122-बी के अधीन

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पारित आदेश के संबंध में कोई अपील प्रदान नहीं की गई है, जिसमें धारा 122-बी (4-फ) के अधीन आदेश भी शामिल है। परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट है कि धारा 333 के अधीन धारा 122-बी की उप-धारा (4-फ) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण का उपाय उपलब्ध नहीं होगा।

15. इन कारणों से, हमारी राय है कि विद्वान एकल न्यायमूर्ति वैकल्पिक उपाय के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने में त्रुटि में थे।

16. तदनुसार, हम विशेष अपील को स्वीकार करते हैं और विद्वान एकल न्यायमूर्ति के दिनांक 25 अगस्त, 2015 के विवादित निर्णय को रद्द करते हैं। रिट याचिका संख्या 4794 (एम/एस) of 2015 को, तदनुसार, गुण-दोष पर नए सिरे से निपटान के लिए विद्वान एकल न्यायमूर्ति की फाइल पर बहाल किया जाएगा।"

ग) गंगा रमन शर्मा (पूर्वोक्त):

गंगा रमन शर्मा बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य - इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने सुशीला और अन्य बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य, विशेष अपील संख्या 479 of 2015, निर्णीत 29.9.2015 के मामले में यह माना है कि अधिनियम की धारा 122बी (4फ) के अधीन पारित आदेश पुनरीक्षणीय नहीं हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि धारा 122बी (4फ) के अधीन पारित आदेश स्वयं पुनरीक्षणीय नहीं हैं, इसलिए धारा 122बी (4फ) के अधीन पारित आदेश को प्रत्याहरण करने की मांग करने वाले पुनःस्थापन आवेदन पर पारित कोई भी आदेश भी पुनरीक्षणीय नहीं है, इसलिए मेरी राय में पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पुनःस्थापन आवेदन को स्वीकार करने वाले आदेश के विरुद्ध पारित आदेश

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिकारिता से रहित है, अधिकारिता से रहित आदेश शून्य है और

ऐसे आदेशों से कोई विधिक परिणाम नहीं निकल सकते। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है: डॉ. (श्रीमती) कुंतुश गुप्ता बनाम प्रबंधन हिंदू कन्या महाविद्यालय, सीतापुर और अन्य, एआईआर 198 एससी 2186, हाशम अब्बास सैयद बनाम उस्मान अब्बास सैयद और अन्य, एआईआर 2007 एससी 1077, द्वारका प्रसाद अग्रवाल (मृत.) एल.आर. और अन्य बनाम बी.डी. अग्रवाल और अन्य, एआईआर 2003 एससी 2686, थांकम्मा बनाम केरल राज्य और अन्य, 1982 केएलजे 309, शकुंतला देवी बनाम कमला और अन्य, 2005 (3) एएलडी 118 (एससी), प्रबंध निदेशक, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गनाइजेशन बनाम सुमंगल सर्विसेज प्रा. लि. (2004) 9 एससीसी 619, सरूप सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2011) 11 एससीसी 198.

इसलिए लंबित पुनःस्थापन आवेदन, नई रिट याचिका दायर करना घातक नहीं होगा क्योंकि अधिकारिता का प्रश्न मामले की जड़ से संबंधित है और इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में उठाया और जाँचा जा सकता है।"

घ) ब्रह्मानंद और अन्य (पूर्वोक्त):

"9. उपर्युक्त प्रावधानों के सरल पाठ से यह स्पष्ट है कि विधायिका का उक्त प्रावधान को शामिल करने का आशय उन पट्टाधारियों की श्रेणी के संबंध में स्वतः अधिकार प्रदान करना था जिनका 30 जून, 1985 को कब्जा था और, इसलिए, यदि भू-धारक उक्त तारीख को जीवित था, तो वह स्वतः ही उक्त लाभ का हकदार हो जाता। केवल इसलिए कि आवश्यक आवेदन बाद के समय में

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया और भू-धारक की मृत्यु हो गई और उसके वारिस रह गए, इस आधार पर उक्त दावे से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आवेदन करने की तारीख पर मूल भू-धारक की मृत्यु हो चुकी थी और बाद में भूमि नगर पालिका या नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आ गई। प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जो व्यक्ति प्रासंगिक तारीख पर भूमि के कब्जे में था, भूमि उस व्यक्ति के साथ उसे अहस्तांतरणीय भूमिधारी की स्थिति प्रदान करके स्थापित कर दी गई थी और आवेदन केवल राजस्व अभिलेखों में आवश्यक सुधार का परिणाम होगा। इसलिए, भले ही आवेदन बाद में किया गया हो, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकार केवल आवेदन की तारीख पर अर्जित होंगे और यदि भू-धारक की बाद में मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिसों को लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। भू-धारक का अधिकार वर्ष 1985 में ही प्रावधान के अनुसार अर्जित हो गया था और भू-धारक की बाद की मृत्यु स्वतः उसके वारिसों के उत्तराधिकार का परिणाम होगी और अधिकार स्वतः उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाएगा और यह नहीं कहा जा सकता है कि अहस्तांतरणीय अधिकारों की श्रेणी में भी भूमिधारी अधिकार उत्तराधिकार के अधीन नहीं हैं और, इसलिए, मेरी विचारित राय में उप-मंडल मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर आवेदन को खारिज करने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की कि वारिसों को विधि के प्रासंगिक प्रावधान के अधीन अधिकारों का दावा करने के लिए कदम बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।

10. इसके अलावा, एक बार अपर आयुक्त ने स्पष्ट अवलोकन के साथ मामले को वापस भेज दिया था कि इस आधार पर दावे से इनकार नहीं किया जाएगा कि बाद में भूमि उ.प्र. नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन नगर निगम के अधीन अधिसूचित हो गई थी, तो उप-मंडल मजिस्ट्रेट के लिए अपर आयुक्त के आदेश पर पुनः अपील करने का विकल्प नहीं था और इस प्रकार, न्यायालय

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की निश्चित राय है कि प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से अपनी अधिकारिता और प्राधिकार का अतिक्रमण किया है और इसलिए, उस आधार पर उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश भी कायम नहीं रखा जा सकता है।

11. जहाँ तक बाद के पुनरीक्षण में अपर आयुक्त द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का संबंध है, जैसा कि मैंने पहले ही माना है कि केवल इसलिए अधिकार नहीं बदल जाएंगे क्योंकि बाद में भूमि नगर निगम मेरठ की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर अधिसूचित कर दी गई है, यदि भू-धारक निर्णायक तारीख यानी 30 जून, 1985 को कब्जे में था। मेरे उपर्युक्त अवलोकन और मेरे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में, मुझे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मनोरे बनाम राजस्व बोर्ड 2003 (5) एससीसी 521 से समर्थन मिलता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त प्रावधान और उसके आवेदन से निपटते हुए, निर्णय के पैराग्राफ 9 में इस प्रकार माना है:

"9. इस प्रकार, धारा 122-बी की उप-धारा (4-फ) न केवल उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए गए अनुसार कब्जे की रक्षा के लिए एक ढाल प्रदान करती है, बल्कि यह उस उप-धारा में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले भूमि के कब्जेदार पर भूमिधारी का एक सकारात्मक अधिकार भी प्रदान करती है। विधिक कल्पना के प्रावधान की स्पष्ट भाषा और कानून के सुधारात्मक उद्देश्य के बावजूद, उच्च न्यायालय के एकल न्यायमूर्ति ने रामदीन बनाम राजस्व बोर्ड (पूर्वोक्त) (तत्काल मामले में उसी न्यायमूर्ति द्वारा अनुसरण किया गया) में यह दृष्टिकोण लिया था कि उप-धारा (4-फ) द्वारा विचारित कब्जेदार के भूमिधारी अधिकार तभी पुष्पित हो सकते हैं जब भूमि प्रबंधन समिति द्वारा धारा 198 के अधीन कोई विशिष्ट आवंटन आदेश हो। उच्च न्यायालय के अनुसार, उप-धारा (4-फ) में निहित

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विधिक कल्पना के प्रावधान को अधिनियम के अन्य प्रावधानों को अति-प्रभावित नहीं किया जा सकता है जो विशेष रूप से भूमिधारी के अधिकार के सृजन से संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण यह था कि उप-धारा (4-फ) में निहित लाभकारी प्रावधान के दायरे में आने वाले व्यक्ति को धारा 198 के अधीन आवंटन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, भले ही वह बेदखली के लिए उत्तरदायी न हो। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, यह माना गया कि कब्जेदार राजस्व अभिलेखों में सुधार की मांग करने का हकदार नहीं था, भले ही उसका मामला धारा 122-बी की उप-धारा (4-फ) के अंतर्गत आता हो। हमारी धारणा है कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अस्थिर है। यह एक निश्चित सामाजिक उद्देश्य के साथ अधिनियमित विधिक कल्पना के प्रावधान के प्रभाव को नजरअंदाज करने के समान है। जब एक बार विधिक कल्पना का प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रावधान में निर्धारित आवश्यक मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति को धारा 195 के अधीन अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी के रूप में प्रविष्ट प्रदान करता है, तो उसे पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए। धारा 195 यह निर्धारित करती है कि भूमि प्रबंधन समिति, उप-मंडल के प्रभारी सहायक कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति से, गांव सभा में निहित किसी भी रिक्त भूमि (धारा 132 के अंतर्गत आने वाली भूमि के अलावा) पर किसी भी व्यक्ति को अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी के रूप में प्रविष्टि देने का अधिकार रखेगी। धारा 198 धाराओं 195 और 197 के अधीन व्यक्तियों को भूमि पर प्रविष्टि देने में वरीयता का क्रम निर्धारित करती है। धारा 122-बी की उप-धारा (4-फ) का अंतिम भाग विधिक कल्पना द्वारा पात्र भूमि कब्जेदार को अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी की स्थिति इस प्रकार प्रदान करता है मानो उसे धारा 195 के अधीन प्रविष्टि किया गया हो। वास्तविक रूप में और प्रभाव में, विधिक कल्पना का प्रावधान घोषित करता है कि विधिक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिधारी उतना ही

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पात्र होना चाहिए जितना कि धारा 195 के साथ अन्य प्रावधानों के तहत भूमिधारी अधिकारों के लिए प्रविष्ट व्यक्ति को। एक तरह से, उप-धारा (4-फ) उस उप-धारा के सुरक्षात्मक दायरे में आने वाले व्यक्ति को विशेष रूप से वही लाभ प्रदान करके धारा 195 की पूर्ति करती है। धारा 195 के साथ धारा 198 के तहत गांव सभा के पास जाने की आवश्यकता उप-धारा (4-फ) में निहित विधिक कल्पना के प्रावधान से दूर हो जाती है। हमें विधिक कल्पना के प्रावधान के दायरे को सीमित करने का कोई आधार नहीं मिलता। यह विधिक स्थिति होने के कारण, उप-धारा (4-फ) के चारों कोनों के भीतर आने वाले पात्र व्यक्ति द्वारा राजस्व अभिलेख में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए आवेदन किए जाने में कोई बाधा नहीं है। जब एक बार आवेदक का दावा स्वीकार कर लिया जाता है, तो विधिक आदेश को प्रभावी करने के लिए आवश्यक प्रविष्टियाँ राजस्व अभिलेखों में करना संबंधित राजस्व प्राधिकारियों का कर्तव्य है। ऐसा करने का दायित्व उप-धारा (4-फ) के दायरे में आने वाले व्यक्ति में निहित विधिक अधिकार के कारण आवश्यक आशय से उत्पन्न होता है। अधिनियम के अधीन आवेदन करने के लिए विशिष्ट प्रावधान का अभाव आवेदन को ग्राह्य न मानने का कोई आधार नहीं है। राजस्व अभिलेख स्वाभाविक रूप से विधिक रूप से मान्यता प्राप्त अधिकारों के अनुरूप होने चाहिए। इसलिए उप-मंडल अधिकारी आवेदन को स्वीकार करने और अभिलेखों में सुधार का निर्देश देने के लिए अपने अधिकारों के भीतर था। राजस्व बोर्ड और उच्च न्यायालय को उस आदेश को रद्द नहीं करना चाहिए था। यह तथ्य कि गांव सभा की भूमि प्रबंधन समिति ने यहाँ के प्रतिवादियों के पक्ष में पट्टाधारी अधिकार बनाए थे, कोई महत्व नहीं रखता। ऐसा पट्टा, अपीलार्थी के विधिक अधिकार के सामने, विधि की दृष्टि में अवैध है और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए।"

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इ) भोला बनाम उ.प्र. राज्य; 2022: एचसी:235747

"29. उप-धारा 4-फ की अंतिम पंक्ति में, यह भी उल्लेख किया गया है कि उस भूमि पर अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी के अपने अधिकार की घोषणा के लिए वाद दायर करना आवश्यक नहीं होगा। स्पष्ट रूप से, पुनरीक्षण न्यायालय का आदेश उप-धारा 4-फ के अनुरूप नहीं है।

30. तथ्यों और परिस्थितियों में जब लेखपाल से लेकर एस.डी.ओ. तक की राय थी कि विवादित संपत्ति याचिकाकर्ता के कब्जे में है, जो अनुसूचित जाति का सदस्य है और निपटान के समय, वह उप-धारा 4-फ का लाभ लेने का हकदार था और तदनुसार उसे उप-धारा 4-फ का लाभ दिया गया, इसलिए उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं था।

31. इस पहलू पर सर्वोच्च न्यायालय ने मनोरे @ मनोहर बनाम राजस्व बोर्ड (उ.प्र.) & 2003 सुप्रीम कोर्ट 396 (एस.सी.) के मामले में भी विचार किया है, जिसमें पैरा संख्या 3, 9, 10, 11 और 12 महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि:

"राजस्व बोर्ड और उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, उ.प्र. जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 122बी(4फ) के अधीन अधिकार की मान्यता की मांग करने वाले आवेदन की ग्राह्यता वह मुद्दा था जो बोर्ड और उच्च न्यायालय के समक्ष व्यापक था। हमारी राय है कि अपीलार्थी को न्याय से वंचित करना अन्याय होगा जो एक अनुसूचित जाति का कृषि मजदूर है और उसे बिना किसी उपाय के छोड़ देने जैसा होगा, हालाँकि उसे भूमि पर कब्जा और उपभोग जारी रखने का वैधानिक अधिकार है। उच्च न्यायालय ने

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपीलार्थी के अधिकारों और उपायों का संकीर्ण दृष्टिकोण लिया है, उसे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वाद-विवाद का एक कठिन रास्ता अपनाने के लिए छोड़ दिया है।

इस प्रकार, धारा 122-बी की उप-धारा (4-फ) न केवल उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए गए अनुसार कब्जे की रक्षा के लिए एक ढाल प्रदान करती है, बल्कि यह उस उप-धारा में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले भूमि के कब्जेदार पर भूमिधारी का एक सकारात्मक अधिकार भी प्रदान करती है। विधिक कल्पना के प्रावधान की स्पष्ट भाषा और कानून के सुधारात्मक उद्देश्य के बावजूद, उच्च न्यायालय के एकल न्यायमूर्ति ने रामदीन बनाम राजस्व बोर्ड (पूर्वोक्त) (तत्काल मामले में उसी न्यायमूर्ति द्वारा अनुसरण किया गया) में यह दृष्टिकोण लिया था कि उप-धारा (4-फ) द्वारा विचारित कब्जेदार के भूमिधारी अधिकार तभी पुष्पित हो सकते हैं जब भूमि प्रबंधन समिति द्वारा धारा 198 के अधीन कोई विशिष्ट आवंटन आदेश हो। उच्च न्यायालय के अनुसार, उप-धारा (4-फ) में निहित विधिक कल्पना के प्रावधान को अधिनियम के अन्य प्रावधानों को अति-प्रभावित नहीं किया जा सकता है जो विशेष रूप से भूमिधारी के अधिकार के सृजन से संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण यह था कि उप-धारा (4-फ) में निहित लाभकारी प्रावधान द्वारा कवर किए गए व्यक्ति को धारा 198 के अधीन आवंटन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, भले ही वह बेदखली के लिए उत्तरदायी न हो। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, यह माना गया कि कब्जेदार राजस्व अभिलेखों में सुधार की मांग करने का हकदार नहीं था, भले ही उसका मामला धारा 122-बी की उप-धारा (4-फ) के अंतर्गत आता हो। हमारी धारणा है कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अस्थिर है। यह एक निश्चित सामाजिक उद्देश्य के साथ अधिनियमित विधिक कल्पना के प्रावधान के प्रभाव को

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नजरअंदाज करने के समान है। जब एक बार विधिक कल्पना का प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रावधान में निर्धारित आवश्यक मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति को धारा 195 के अधीन अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी के रूप में प्रविष्ट प्रदान करता है, तो उसे पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए। धारा 195 यह निर्धारित करती है कि भूमि प्रबंधन समिति, उप-मंडल के प्रभारी सहायक कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति से, गांव सभा में निहित किसी भी रिक्त भूमि (धारा 132 के अंतर्गत आने वाली भूमि के अलावा) पर किसी भी व्यक्ति को अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी के रूप में प्रविष्टि देने का अधिकार रखेगी। धारा 198 धाराओं 195 और 197 के अधीन व्यक्तियों को भूमि पर प्रविष्टि देने में वरीयता का क्रम निर्धारित करती है। धारा 122-बी की उप-धारा (4-फ) का अंतिम भाग विधिक कल्पना द्वारा पात्र भूमि कब्जेदार को अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी की स्थिति इस प्रकार प्रदान करता है मानो उसे धारा 195 के अधीन प्रविष्टि किया गया हो। वास्तविक रूप में और प्रभाव में, विधिक कल्पना का प्रावधान घोषित करता है कि विधिक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिधारी उतना ही पात्र होना चाहिए जितना कि धारा 195 के साथ अन्य प्रावधानों के तहत भूमिधारी अधिकारों के लिए प्रविष्टि व्यक्ति को। एक तरह से, उप-धारा (4-फ) उस उप-धारा के सुरक्षात्मक दायरे में आने वाले व्यक्ति को विशेष रूप से वही लाभ प्रदान करके धारा 195 की पूर्ति करती है। धारा 195 के साथ धारा 198 के तहत गांव सभा के पास जाने की आवश्यकता उप-धारा (4-फ) में निहित विधिक कल्पना के प्रावधान से दूर हो जाती है। हमें विधिक कल्पना के प्रावधान के दायरे को सीमित करने का कोई आधार नहीं मिलता।

यह विधिक स्थिति होने के कारण, उप-धारा (4-फ) के चारों कोनों के भीतर आने वाले पात्र

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



व्यक्ति द्वारा राजस्व अभिलेख में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए आवेदन किए जाने में कोई बाधा नहीं है। जब एक बार आवेदक का दावा स्वीकार कर लिया जाता है, तो विधिक आदेश को प्रभावी करने के लिए आवश्यक प्रविष्टियाँ राजस्व अभिलेखों में करना संबंधित राजस्व प्राधिकारियों का कर्तव्य है। ऐसा करने का दायित्व उप-धारा (4-फ) के दायरे में आने वाले व्यक्ति में निहित विधिक अधिकार के कारण आवश्यक आशय से उत्पन्न होता है। अधिनियम के अधीन आवेदन करने के लिए विशिष्ट प्रावधान का अभाव आवेदन को ग्राह्य न मानने का कोई आधार नहीं है। राजस्व अभिलेख स्वाभाविक रूप से विधिक रूप से मान्यता प्राप्त अधिकारों के अनुरूप होने चाहिए। इसलिए उप-मंडल अधिकारी आवेदन को स्वीकार करने और अभिलेखों में सुधार का निर्देश देने के लिए अपने अधिकारों के भीतर था। राजस्व बोर्ड और उच्च न्यायालय को उस आदेश को रद्द नहीं करना चाहिए था। यह तथ्य कि गांव सभा की भूमि प्रबंधन समिति ने यहाँ के प्रतिवादियों के पक्ष में पट्टाधारी अधिकार बनाए थे, कोई महत्व नहीं रखता। ऐसा पट्टा, अपीलार्थी के विधिक अधिकार के सामने, विधि की दृष्टि में अवैध है और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

यह आश्चर्यजनक है कि उ.प्र. राज्य ने गांव सभा के साथ मिलकर एस.डी.ओ. के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करना चुना। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा मामले की स्पष्ट रूप से जाँच नहीं की गई है, जिन्हें कानून के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य को प्रभावी करना चाहिए था।

अपील स्वीकार की जाती है। राजस्व बोर्ड और उच्च न्यायालय के आदेश रद्द किए जाते हैं। एस.डी.ओ. का आदेश बहाल किया जाता है। कोई लागत नहीं।"

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



34. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख के अवलोकन पर, इस न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि वर्तमान रिट याचिका में शामिल मुख्य मुद्दा यह है कि क्या पुनरीक्षण प्राधिकारी परगना अधिकारी, हसनगंज, जिला उन्नाव द्वारा पारित दिनांक 25.09.2003 के आदेश में हस्तक्षेप करने में उचित था या नहीं।

35. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि दिनांक 25.09.2003 का आदेश केवल पूर्व दिनांक 18.07.1998 के आदेश को प्रत्याहरण करता है, जो याचिकाकर्ता को बिना नोटिस जारी किए और बिना सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए एक पक्षीय रूप से पारित किया गया था। उक्त दिनांक 25.09.2003 का आदेश पक्षकारों के अधिकारों का गुण-दोष पर निर्णय नहीं करता था, बल्कि केवल कार्यवाही को इस प्रकार बहाल करता था कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 09.01.1998 के आदेश को प्रत्याहरण करने के लिए दायर आवेदन का अधिनिर्णय याचिकाकर्ता को सुनने के बाद किया जा सके। इस प्रकार, दिनांक 25.09.2003 का आदेश केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए पारित किया गया था।

36. पुनरीक्षण प्राधिकारी ने, पुनरीक्षण को स्वीकार करते हुए और दिनांक 25.09.2003 के आदेश को रद्द करते हुए, यह समझने में विफल रहा कि दिनांक 18.07.1998 का आदेश याचिकाकर्ता की पीठ पीछे पारित किया गया था और स्पष्ट रूप से एक एक-पक्षीय आदेश था। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित कोई भी आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और कायम नहीं रखा जा सकता है। ऐसे एक-पक्षीय आदेश को बहाल करके, पुनरीक्षण प्राधिकारी ने वस्तुतः याचिकाकर्ता को कार्यवाही का विरोध

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने और दिनांक 09.01.1998 के आदेश का बचाव करने के अपने बहुमूल्य अधिकार से वंचित कर दिया है।

37. उपर्युक्त के अलावा, उ.प्र. जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-बी (4-फ) से संबंधित विधिक स्थिति अब विवादित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मनोरे @ मनोहर बनाम राजस्व बोर्ड, उ.प्र. और अन्य** में स्पष्ट रूप से माना है कि उप-धारा (4-फ) न केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित पात्र कृषि मजदूर के कब्जे की रक्षा करती है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को विधिक कल्पना के प्रावधान द्वारा अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी की स्थिति भी प्रदान करती है। उक्त प्रावधान को कृषि सुधार के एक उपाय के रूप में सामाजिक-आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए अधिनियमित किया गया है और प्रावधान के अधीन प्रदत्त लाभ को संकीर्ण या तकनीकी दृष्टिकोण अपनाकर कम नहीं किया जा सकता है।

38. उपर्युक्त सिद्धांत को इस न्यायालय ने **सुशीला और अन्य बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य** में दोहराया है, जिसमें यह माना गया है कि एक बार कोई व्यक्ति धारा 122-बी (4-फ) की शर्तों को पूरा करता है, तो उसे अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी के रूप में प्रविष्ट माना जाता है और ऐसे वैधानिक अधिकार को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट रूप से माना गया है कि धारा 122-बी (4-फ) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण का उपाय उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पुनरीक्षण अधिकारिता विधि की रचना है और जहाँ विधि इसे प्रदान नहीं करती है, वहाँ इसे ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



39. इसी प्रकार का दृष्टिकोण इस न्यायालय ने **गंगा रमन शर्मा बनाम उ.प्र. राज्य** में लिया है, जिसमें यह माना गया है कि चूंकि धारा 122-बी (4-फ) के अधीन आदेश स्वयं पुनरीक्षणीय नहीं है, इसलिए ऐसे आदेश से उत्पन्न कार्यवाही में पारित कोई भी आदेश, जिसमें पुनःस्थापन आवेदन को स्वीकार करने वाला आदेश भी शामिल है, पुनरीक्षणीय नहीं है और ऐसे मामलों में पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा कोई भी हस्तक्षेप पूरी तरह से अधिकारिता से रहित होगा।

40. इसके अलावा, **ब्रह्मानंद और अन्य बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य तथा भोला बनाम उ.प्र. राज्य** में, इस बात पर जोर दिया गया है कि धारा 122-बी (4-फ) के अधीन अर्जित अधिकार एक वैधानिक कल्पना प्रावधान से उत्पन्न होते हैं और एक बार प्रावधान की शर्तें पूरी हो जाने पर, पात्र व्यक्ति अहस्तांतरणीय अधिकारों सहित भूमिधारी की स्थिति प्राप्त कर लेता है और राजस्व प्राधिकारी ऐसे अधिकारों को मान्यता देने के लिए बाध्य हैं।

41. वर्तमान मामले में, अभिलेख इंगित करता है कि याचिकाकर्ता, जो अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है और एक भूमिहीन कृषि मजदूर होने का दावा करता है, को परगना अधिकारी द्वारा दिनांक 09.01.1998 के आदेश द्वारा उचित जाँच के बाद धारा 122-बी (4-फ) के अधीन लाभ प्रदान किया गया था। उक्त आदेश को रद्द करने वाला बाद का आदेश दिनांक 18.07.1998 निस्संदेह एक पक्षीय रूप से पारित किया गया था। इसलिए, परगना अधिकारी ने 25.09.2003 को एक पक्षीय आदेश को प्रत्याहरण करके सही किया ताकि मामले में याचिकाकर्ता को अवसर देने के बाद नए सिरे से सुनवाई की जा सके।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



42. हालाँकि, पुनरीक्षण प्राधिकारी ने उपर्युक्त विधिक स्थिति के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को भी नजरअंदाज कर दिया और इस गलत धारणा पर दिनांक 25.09.2003 के आदेश को रद्द करने के लिए आगे बढ़ा कि पूर्व दिनांक 18.07.1998 का आदेश गुण-दोष पर पारित किया गया था। इस प्रकार, विवादित आदेश स्पष्ट अवैधता और अधिकारिता संबंधी त्रुटि से ग्रसित है।

43. उपर्युक्त विचार-विमर्श और याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों में प्रतिपादित विधि को देखते हुए, इस न्यायालय की विचारित राय है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 10.08.2004 विधि की दृष्टि में कायम नहीं रखा जा सकता है।

44. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और इसे स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 10.08.2004 रद्द किया जाता है।

45. परगना अधिकारी, हसनगंज, जिला उन्नाव द्वारा पारित दिनांक 25.09.2003 का आदेश बहाल किया जाता है और संबंधित प्राधिकारी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद मामले का विधि के अनुसार नए सिरे से निर्णय करने के लिए आगे बढ़ेगा।

46. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

आदेश दिनांक :- 12.03.2026

(इरशाद अली, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।